भारत सरकार
शिक्षा मंत्रालय
स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-4
उत्तर देने की तारीख-21/07/2025

त्रिभाषा नीति का निरसन

†4. श्री माथेश्वरन वी.एस.:

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि महाराष्ट्र राज्य सरकार ने प्राथमिक विद्यालयों में हिंदी को तीसरी भाषा के रूप में लागू करने संबंधी त्रिभाषा नीति संबंधी सरकारी संकल्प (जीआर) को रद्द कर दिया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(ख) देश के सभी राज्यों में तीसरी भाषा के विकल्पों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री जयन्त चौधरी)

(क) और **(ख):** महाराष्ट्र राज्य सरकार ने सूचित किया है कि उन्होने राज्य बोर्ड के स्कूलों में कक्षा 1 से त्रिभाषा नीति के कार्यान्वयन से संबंधित दिनांक 16.04.2025 **के** अपने सरकारी संकल्प (जी.आर.) और दिनांक 17.06.2025 के अपने शुद्धिपत्र को दिनांक 30 जून, 2025 के जी.आर. द्वारा निरस्त कर दिया है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020, पैरा 4.13 अन्य बातों के साथ-साथ, में यह प्रावधान है कि "संवैधानिक प्रावधानों, लोगों, क्षेत्रों और संघ की आकांक्षाओं और बहुभाषावाद को बढ़ावा देने के साथ-साथ राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए त्रि-भाषा फॉर्मूला लागू किया जाना जारी रहेगा। हालाँकि, त्रि-भाषा फॉर्मूले में अधिक लोचनीयता होगी और किसी भी राज्य पर कोई भाषा नहीं थोपी जाएगी। बच्चों द्वारा सीखी जाने वाली तीन भाषाएँ राज्यों, क्षेत्रों और निश्चित रूप से स्वयं छात्रों की पसंद की होंगी, जब तक कि तीन में

से कम से कम दो भाषाएँ भारत की मूल भाषा हों। विशेष रूप से, जो छात्र जिन तीन भाषाओं का अध्ययन कर रहे हैं उनमें से एक या अधिक को बदलना चाहते हैं, वे कक्षा 6 या 7 में ऐसा कर सकते हैं, जब तक कि वे माध्यमिक विद्यालय के अंत तक तीन भाषाओं (साहित्य स्तर पर भारत की एक भाषा सहित) में बुनियादी दक्षता प्रदर्शित करने में सक्षम हों।"

स्कूल शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2023 का उद्देश्य सभी छात्रों को कम से कम तीन भाषाएँ सीखने में सक्षम बनाना है, ताकि हाई स्कूल की पढ़ाई पूरी होने तक छात्र तीन भाषाओं में स्वतंत्र रूप से पढ़ने और लिखने में दक्षता हासिल कर सकें। इन तीन भाषाओं में से कम से कम दो- आर1, आर2, और आर3 - भारत की मूल निवासी होनी चाहिए।

आर1 वह पहली भाषा है जिसमें विद्यार्थी आदर्श रूप से अपनी मातृभाषा या यदि संभव न हो तो राज्य की भाषा में साक्षरता सीखते हैं, जिसमें 8 वर्ष की आयु तक दक्षता अपेक्षित होती है, आर2, आर1 से भिन्न दूसरी भाषा है, जिसमें 11 वर्ष की आयु तक दक्षता प्राप्त की जानी होती है तथा आर3, आर1 और आर2 से भिन्न तीसरी भाषा है, जिसमें 14 वर्ष की आयु तक दक्षता प्राप्त करने का लक्ष्य होता है।

इसके अलावा, शिक्षा संविधान की समवर्ती सूची का विषय है, इसलिए एनईपी 2020 की भावना के अनुरूप त्रिभाषा नीति के कार्यान्वयन का निर्णय करना संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों पर निर्भर है।

*****